



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या- H15315 C-4/NGT/157/2024

दिनांक- 6-8-2024

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub: Action Taken Report on behalf of U.P. Pollution Control Board in Compliance to order Dated 22.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 497/2022 Sunny Yadav Vs State of Uttar Pradesh.

Sir,

In the above noted case, Hon'ble NGT has given direction as below:

".....7. *Learned Counsel appearing for UPPCB has fairly admitted that the UPPCB has option to take action of imposition of EC, passing of closure order and prosecution in case of violation. He submits that now appropriate action will be taken for the violations of the norms and noncompliance of the consent condition within two months.*

8. *Let the action taken report be filed by the Member Secretary, UPPCB within three months before the Registrar General of the Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and if found necessary, the matter may be listed before the Bench.*

9. *The original application is accordingly disposed of."*

In compliance of above direction Action Taken Report on behalf of U.P. Pollution Control Board is submitted for kind perusal and further action in this regard.

Encl: As above

Your's Sincerely,

Atulish yadav
(Atulesh Yadav)

Chief Environmental Officer,
Circle-4

Copy: Chief Law Officer (Incharge), UPPCB, Lucknow

Chief Environmental Officer,
Circle-4

Action Taken Report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in Compliance to the order dated 22.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 497/2022, Sunny Yadav Vs State of Uttar Pradesh.

That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (herein after referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 22.04.2024 has passed the following directions:-

".....7. Learned Counsel appearing for UPPCB has fairly admitted that the UPPCB has option to take action of imposition of EC, passing of closure order and prosecution in case of violation. He submits that now appropriate action will be taken for the violations of the norms and noncompliance of the consent condition within two months.

8. Let the action taken report be filed by the Member Secretary, UPPCB within three months before the Registrar General of the Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and if found necessary, the matter may be listed before the Bench."

In compliance to the above direction, the Uttar Pradesh Pollution Control Board (herein after referred as UPPCB) has taken the following actions;

1. M/s Shiv Ent Bhatta, Village Ghitauli, Tehsil and District- Mainpuri;

The brick kiln, M/s Shiv Ent Bhatta, Village Ghitauli, Tehsil and District- Mainpuri was inspected by the Regional Office, UPPCB, Firozabad on 15.04.2024 and on the recommendation of the Regional Officer, Firozabad the show cause notice under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended, has been issued by the UPPCB vide letter No.- H14131/C-4/NGT-157/SCN/2024 dated 15.07.2024 for imposition of Environmental Compensation of Rs. 1,75,000/- (Rs. One Lakh Seventy Five Thousand only) for violation of 28 days. The copy of letter dated 15.07.2024 is enclosed herewith as **Annexure-1** to this Action Taken Report.

2. M/s Dayal Brick and Tiles, Village Nagariya, Post-Dharau, Tehsil and District- Mainpuri;

The brick kiln, M/s Dayal Brick and Tiles, Village Nagariya, Post-Dharau, Tehsil and District- Mainpuri was inspected by the Regional Office, UPPCB, Firozabad

on 15.04.2024 and on the recommendation of the Regional Office, Firozabad a show cause notice under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended has been issued by the UPPCB vide letter No.- H14129/C-4/NGT-157/SCN/2024 dated 15.07.2024 for imposition of Environmental Compensation of Rs. 1,75,000/- (Rs. One Lakh Seventy Five Thousand only) for violation of 28 days. The copy of letter dated 15.07.2024 is enclosed herewith as **Annexure-2** to this Action Taken Report.


3. M/s Govind Brick Works, Village Devamai, Post- Odenmandal, Tehsil & Distrcit- Mainpuri;

The brick kiln, M/s Govind Brick Works, Village Devamai, Post- Odenmandal, Tehsil & Distrcit- Mainpuri was inspected by the Regional Office, UPPCB, Firozabad on 15.04.2024 and on the recommendation of the Regional Office, Firozabad the show cause notice under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended has been issued by the UPPCB vide letter No.- H14130/C-4/NGT-157/SCN/2024 dated 15.07.2024 for imposition of Environmental Compensation of Rs. 1,75,000/- (Rs. One Lac Seventy Five Thousand only) for violation of 28 days. The copy of letter dated 15.07.2024 is enclosed herewith as **Annexure-3** to this Action Taken Report.

Further it is submitted that latest inspection of the above mentioned brick kilns was conducted by the Regional Office, Firozabad on 22.07.2024 and brick kilns were found complying with the consent conditions issued by the UPPCB. The copy of the inspection report is enclosed herewith as **Annexure-4** to this Action Taken Report.

The above action taken report is being submitted before this Hon'ble Tribunal for perusal and kind consideration.

Dated:


(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary,
UPPCB



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

पत्रांक : 11/14/24 / सी-4/एनजीटी-157/का0ब0नो0/2024,

दिनांक : 15/07/24

मै0 शिव ईट भट्टा,
ग्राम-घिटौली,
तहसील व जनपद-मैनपुरी।

यह कि मै0 शिव ईट भट्टा, ग्राम-घिटौली, तहसील व जनपद-मैनपुरी द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर, ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-497/2022 सनी यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 22.04.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

- ".....7. Learned Counsel appearing for UPPCB has fairly admitted that the UPPCB has option to take action of imposition of EC, passing of closure order and prosecution in case of violation. He submits that now appropriate action will be taken for the violations of the norms and noncompliance of the consent condition within two months.
8. Let the action taken report be filed by the Member Secretary, UPPCB within three months before the Registrar General of the Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and if found necessary, the matter may be listed before the Bench...."

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन ईट भट्टे का निरीक्षण संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 18.03.2024 को किया गया। तत्समय ईट भट्टे में पेव रोड निर्मित नहीं होने, आंशिक ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाने, ईंधन को आंशिक कवर किये जाने तथा परिवेशीय वायु गुणता की रिपोर्ट प्रेषित नहीं किये जाने संबंधी कमियां संयुक्त जांच समिति द्वारा निरीक्षण आख्या में उल्लिखित किया गया था।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 15.04.2024 को किया गया। तत्समय ईट भट्टे की ट्रेंच के चारों तरफ ईट निर्मित रोड (पेप रोड) बना हुआ पाया गया। ईट भट्टे के क्लस्टर में पेड़ तथा ईट भट्टे के चारों तरफ वृक्ष लगा हुआ पाया गया। ईट भट्टे में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले कोयले को ईट निर्मित कमरे में रखा हुआ पाया गया तथा तुरी को तिरपाल से ढका हुआ पाया गया। ईट भट्टे द्वारा चिमनी एवं परिवेशीय वायु गुणता की मॉनीटरिंग करा लिया गया है। तदनुसार ईट भट्टे द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाना हुआ पाया गया।

यह कि ईट भट्टे को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 24.11.2020 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) निर्गत किया गया है, जो कि दिनांक 31.07.2021 तक की अवधि हेतु वैध है। ईट भट्टे द्वारा निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदित सहमति (जल एवं वायु) के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 20.04.2024 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) निर्गत किया गया है, जो कि दिनांक 31.07.2029 तक की अवधि हेतु वैध है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 18.03.2024 को किये गये निरीक्षण में पायी गयी कमियों एवं ईट भट्टे द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा पत्रांक-203/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0-497/सनी यादव/2024, दिनांक 14.06.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 शिव ईट भट्टा, ग्राम-घिटौली, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन

के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$, $EC=50 \times 1 \times 250 \times .5 \times 1.0=6,250/-$ मात्र प्रतिदिन की दर से उल्लंघन दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 14.06.2024 के अनुक्रम में ईट भट्ठा मै० शिव ईट भट्ठा, ग्राम-घिटौली, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए एवं लागू अन्य नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न ईट भट्ठा मै० शिव ईट भट्ठा, ग्राम-घिटौली, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times .5 \times 1.0=6,250/-$ मात्र प्रतिदिन की दर से 18.03.2024 से दिनांक 14.04.2024 तक अर्थात् 28 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू० 1,75,000/- (रूपया एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित निर्देश की पुष्टि करते हुए ईट भट्ठे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Atul Singh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्ठे को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर निर्धारित समयावधि में ईट भट्ठे की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atul Singh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

Atul Singh Yadav

Mailed
16/07/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक : H14129 /सी-4/एनजीटी-157/का0ब0नो0/2024,

दिनांक : 15/07/24

मै0 दयाल ब्रिक एण्ड टाइल्स,
ग्राम-नगरिया, पोस्ट-धारऊ,
तहसील व जनपद-मैनपुरी।

यह कि मै0 दयाल ब्रिक एण्ड टाइल्स, ग्राम-नगरिया, पोस्ट-धारऊ, तहसील व जनपद-मैनपुरी द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर, ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-497/2022 सनी यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 22.04.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

- ".....7. Learned Counsel appearing for UPPCB has fairly admitted that the UPPCB has option to take action of imposition of EC, passing of closure order and prosecution in case of violation. He submits that now appropriate action will be taken for the violations of the norms and noncompliance of the consent condition within two months.
8. Let the action taken report be filed by the Member Secretary, UPPCB within three months before the Registrar General of the Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and if found necessary, the matter may be listed before the Bench...."

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन ईट भट्टे का निरीक्षण संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 18.03.2024 को किया गया। तत्समय ईट भट्टे में पेव रोड निर्मित नहीं होने, आंशिक ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाने, ईंधन को आंशिक कवर किये जाने तथा परिवेशीय वायु गुणता की रिपोर्ट प्रेषित नहीं किये जाने संबंधी कमियां संयुक्त जांच समिति द्वारा निरीक्षण आख्या में उल्लिखित किया गया था।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 15.04.2024 को किया गया। तत्समय ईट भट्टे की ट्रेंच के चारों तरफ ईट निर्मित रोड (पेप रोड) बना हुआ पाया गया। ईट भट्टे के क्लस्टर में पेड़ तथा ईट भट्टे के चारों तरफ वृक्ष लगा हुआ पाया गया। ईट भट्टे में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले कोयले को ईट निर्मित कमरे में रखा हुआ पाया गया तथा तुरी को तिरपाल से ढका हुआ पाया गया। ईट भट्टे द्वारा चिमनी एवं परिवेशीय वायु गुणता की मॉनीटरिंग करा लिया गया है। तदनुसार ईट भट्टे द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाना हुआ पाया गया।

यह कि ईट भट्टे को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 06.07.2021 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) निर्गत किया गया है, जो कि दिनांक 31.07.2025 तक की अवधि हेतु वैध है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 18.03.2024 को किये गये निरीक्षण में पायी गयी कमियों एवं ईट भट्टे द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा पत्रांक-204/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0-497/सनी यादव/2024, दिनांक 14.06.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 दयाल ब्रिक एण्ड टाइल्स, ग्राम-नगरिया, पोस्ट-धारऊ, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय

क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$, $EC=50 \times 1 \times 250 \times 5 \times 1.0=6,250/-$ मात्र प्रतिदिन की दर से उल्लंघन दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 14.06.2024 के अनुक्रम में ईट भट्टा मै० दयाल ब्रिक एण्ड टाइल्स, ग्राम-नगरिया, पोस्ट-धारऊ, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए एवं लागू अन्य नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न ईट भट्टा मै० दयाल ब्रिक एण्ड टाइल्स, ग्राम-नगरिया, पोस्ट-धारऊ, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times 5 \times 1.0=6,250/-$ मात्र प्रतिदिन की दर से 18.03.2024 से दिनांक 14.04.2024 तक अर्थात् 28 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू० 1,75,000/- (रुपया एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित निर्देश की पुष्टि करते हुए ईट भट्टे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Atul Singh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्टे को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर निर्धारित समयावधि में ईट भट्टे की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atul Singh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

Mailed
16/7/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

पत्रांक : 114130 /सी-4 /एनजीटी-157 /का0ब0नो0 /2024,

दिनांक : 15/07/24

मै0 गोविन्द ब्रिक वर्क्स,
ग्राम-देवामई, पोस्ट-ओडेनमण्डल,
तहसील व जनपद-मैनपुरी।

यह कि मै0 गोविन्द ब्रिक वर्क्स, ग्राम-देवामई, पोस्ट-ओडेनमण्डल, तहसील व जनपद-मैनपुरी द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर, ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-497/2022 सनी यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 22.04.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....7. Learned Counsel appearing for UPPCB has fairly admitted that the UPPCB has option to take action of imposition of EC, passing of closure order and prosecution in case of violation. He submits that now appropriate action will be taken for the violations of the norms and noncompliance of the consent condition within two months.

8. Let the action taken report be filed by the Member Secretary, UPPCB within three months before the Registrar General of the Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and if found necessary, the matter may be listed before the Bench...."

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन ईट भट्टे का निरीक्षण संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 18.03.2024 को किया गया। तत्समय ईट भट्टे में पेव रोड निर्मित नहीं होने, आंशिक ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाने, ईंधन को आंशिक कवर किये जाने तथा परिवेशीय वायु गुणता की रिपोर्ट प्रेषित नहीं किये जाने संबंधी कमियां संयुक्त जांच समिति द्वारा निरीक्षण आख्या में उल्लिखित किया गया था।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 15.04.2024 को किया गया। तत्समय ईट भट्टे की ट्रेंच के चारों तरफ ईट निर्मित रोड (पेप रोड) बना हुआ पाया गया। ईट भट्टे के क्लस्टर में पेड़ तथा ईट भट्टे के चारों तरफ वृक्ष लगा हुआ पाया गया। ईट भट्टे में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले कोयले को ईट निर्मित कमरे में रखा हुआ पाया गया तथा तुरी को तिरपाल से ढका हुआ पाया गया। ईट भट्टे द्वारा चिमनी एवं परिवेशीय वायु गुणता की मॉनीटरिंग करा लिया गया है। तदनुसार ईट भट्टे द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाना हुआ पाया गया।

यह कि ईट भट्टे को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 24.11.2019 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) निर्गत किया गया है, जो कि दिनांक 31.07.2024 तक की अवधि हेतु वैध है। ईट भट्टे द्वारा निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदित सहमति (जल एवं वायु) के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 20.04.2024 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) निर्गत किया गया है, जो कि दिनांक 31.07.2029 तक की अवधि हेतु वैध है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 18.03.2024 को किये गये निरीक्षण में पायी गयी कमियों एवं ईट भट्टे द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा पत्रांक-205/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0-497/सनी यादव/2024, दिनांक 14.06.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 गोविन्द ब्रिक वर्क्स, ग्राम-देवामई, पोस्ट-ओडेनमण्डल, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.up.gov.in

हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$, $EC=50 \times 1 \times 250 \times .5 \times 1.0=6,250/-$ मात्र प्रतिदिन की दर से उल्लंघन दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 14.06.2024 के अनुक्रम में ईट भट्टा मै० गोविन्द ब्रिक वर्क्स, ग्राम-देवामई, पोस्ट-ओडेनमण्डल, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए एवं लागू अन्य नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि कयों न ईट भट्टा मै० गोविन्द ब्रिक वर्क्स, ग्राम-देवामई, पोस्ट-ओडेनमण्डल, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र $EC=PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार $EC=50 \times 1 \times 250 \times .5 \times 1.0=6,250/-$ मात्र प्रतिदिन की दर से 18.03.2024 से दिनांक 14.04.2024 तक अर्थात् 28 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू० 1,75,000/- (रूपया एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित निर्देश की पुष्टि करते हुए ईट भट्टे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Atul Singh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्टे को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर निर्धारित समयावधि में ईट भट्टे की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atul Singh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

ok
se

Mailed
16/7/24

e-mail:- rofirozabad@uppcb.com



क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भवन सं०-3/5 बी, सेक्टर-3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

पत्रांक - 290 / एन०जी०टी० ओ०ए० न०-497 / 2022 / सनी यादव / 2024 .दिनांक- 22 / 07 / 2024

सेवा मे,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-497 / 2022 सनी यादव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में दिनांक 22.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक- एच14358/सी-4/विधि/एन०जी०टी०/157/2024 दिनांक-19.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त याचिका में सम्मिलित प्रश्नगत ईट भट्टों की सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या का भी एक्शन टेकन रिपोर्ट में समावेश किये जाने हेतु विधि अनुभाग से प्राप्त विधिक अभिमत के क्रम में ईट भट्टों को जारी सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या तत्काल मुख्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में उक्त ओ०ए० संख्या-497/2022 में सम्मिलित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक- 15.04.2024 एवं दिनांक-22.07.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या पत्र के संलग्न हैं।


संलग्न निरीक्षण आख्या में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ओ०ए० संख्या-497/2022 में सम्मिलित ईट भट्टों (मै० दयाल ब्रिक एवं टाइल्स, ग्राम-नगरिया, पोस्ट-धारऊ, तहसील व जनपद-मैनपुरी, मै० गोविन्द विक्स वर्क्स, ग्राम-देवामई, पोस्ट-ओडेनमण्डल, तहसील व जनपद-मैनपुरी एवं मै० शिव ईट भट्टा, ग्राम-घिटोली, तहसील व जनपद-मैनपुरी) द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

AED


22.7.24

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-497/2022 सनी यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 22.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक- एच14358/सी-4/विधि/एन0जी0टी0/157/2024 दिनांक-19.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त याचिका में सम्मिलित प्रश्नगत ईट भट्टों की सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या का भी एक्शन टेकन रिपोर्ट में समावेश किये जाने हेतु विधि अनुभाग से प्राप्त विधिक अभिमत के क्रम में ईट भट्टों को जारी सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या तत्काल मुख्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में उक्त ओ0ए0 संख्या-497/2022 में सम्मिलित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण दिनांक- 15.04.2024 एवं दिनांक-22.07.2024 को किया गया। ईट भट्टों को जारी सहमति आदेश में अंकित शर्तों की अनुपालन आख्या सम्बन्धी विवरण इकाईवार निम्नवत् है:-

1. मै0 दयाल ब्रिक एवं टाइल्स, ग्राम-नगरिया, पोस्ट-धारऊ, तहसील व जनपद-मैनपुरी

ईट भट्टे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.04.2024 इस कार्यालय में दिनांक 15.04.2024 को प्राप्त है। उक्त पत्र के माध्यम से ईट भट्टे द्वारा अवगत कराया गया है कि ईट भट्टे के चारो तरफ सड़क का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है। पूर्व में हरित पट्टिका विकसित की गयी थी। कुछ पौधे खराब हो गये थे। जिनको बदलवा दिया गया है। भट्टे के चारो तरफ कम जगह होने के कारण अलग से भी पूर्व में वृक्षारोपण किया गया है। भट्टे के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल निर्मित है। एयर मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक-15.04.2024 को किया गया। तत्समय ईट भट्टे द्वारा ईट भट्टे की ट्रेंच के चारों तरफ ईट निर्मित रोड (पेप रोड) बना हुआ पाया गया। ईट भट्टे के पास में क्लस्टर में पेड़ तथा ईट भट्टे के चारों तरफ वृक्ष लगा हुआ पाया गया। ईट भट्टे में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले कोयले को ईट निर्मित कमरे में रखा हुआ पाया गया तथा तुरी को तिरपाल से ढका हुआ पाया गया। ईट भट्टे द्वारा चिमनी एवं परिवेशीय वायु गुणता की मॉनीटरिंग करा लिया गया है, के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया। तदोपरान्त ईट भट्टे द्वारा पुनः पत्र दिनांक 28.05.2024 इस कार्यालय में दिनांक 28.05.2024 को प्राप्त कराया गया, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि इंगित सभी कमियों को पूर्ण कर लिया गया है।

ईट भट्टे का निरीक्षण पुनः दिनांक-22.07.2024 को किया गया। तत्समय ईट भट्टे द्वारा ईट भट्टे की ट्रेंच के चारों तरफ ईट निर्मित रोड (पेप रोड) बना हुआ पाया गया। ईट भट्टे के पास में क्लस्टर में पेड़ तथा ईट भट्टे के चारों तरफ वृक्ष लगा हुआ पाया गया। ईट भट्टे में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले कोयले को ईट निर्मित कमरे में रखा हुआ पाया गया तथा तुरी को तिरपाल से ढका हुआ पाया गया। ईट भट्टे द्वारा चिमनी एवं परिवेशीय वायु गुणता की मॉनीटरिंग करा लिया गया है, जिसे कार्यालय में प्राप्त कराया गया है। तदनुसार ईट भट्टे द्वारा संयुक्त जाँच समिति की निरीक्षण आख्या में अंकित कमियों का निराकरण तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ पाया गया।

2. मै0 गोविन्द विक्स वर्क्स, ग्राम-देवामई, पोस्ट-ओडेनमण्डल, तहसील व जनपद-मैनपुरी

ईट भट्टे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.04.2024 इस कार्यालय में दिनांक 15.04.2024 को प्राप्त है। उक्त पत्र के माध्यम से ईट भट्टे द्वारा अवगत कराया गया है कि ईट भट्टे के चारो तरफ सड़क का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है। पूर्व में हरित पट्टिका विकसित की गयी थी। कुछ पौधे खराब हो गये थे। जिनको बदलवा दिया गया है। भट्टे के चारो तरफ कम जगह होने के कारण अलग से भी पूर्व में वृक्षारोपण किया गया है। भट्टे के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल निर्मित है। एयर मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक-15.04.2024 को किया गया। तत्समय ईट भट्टे द्वारा ईट भट्टे की ट्रेंच के चारों तरफ ईट निर्मित रोड (पेप रोड) बना हुआ पाया गया। ईट भट्टे के पास में क्लस्टर में पेड़ तथा ईट भट्टे के चारों तरफ वृक्ष लगा हुआ पाया गया। ईट भट्टे में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने

वाले को ले को ईट निर्मित कमरे में रखा हुआ पाया गया तथा तुरी को तिरपाल से ढका हुआ पाया गया। ईट भट्टे द्वारा चिमनी एवं परिवेशीय वायु गुणता की मॉनीटरिंग करा लिया गया है, के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया। तदोपरान्त ईट भट्टे द्वारा पुनः पत्र दिनांक 28.05.2024 इस कार्यालय में दिनांक 28.05.2024 को प्राप्त कराया गया, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि इंगित सभी कमियों को पूर्ण कर लिया गया है।

ईट भट्टे का निरीक्षण पुनः दिनांक-22.07.2024 को किया गया। तत्समय ईट भट्टे द्वारा ईट भट्टे की ट्रेंच के चारों तरफ ईट निर्मित रोड (पेप रोड) बना हुआ पाया गया। ईट भट्टे के पास में क्लस्टर में पेड़ तथा ईट भट्टे के चारों तरफ वृक्ष लगा हुआ पाया गया। ईट भट्टे में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले कोयले को ईट निर्मित कमरे में रखा हुआ पाया गया तथा तुरी को तिरपाल से ढका हुआ पाया गया। ईट भट्टे द्वारा चिमनी एवं परिवेशीय वायु गुणता की मॉनीटरिंग करा लिया गया है, जिसे कार्यालय में प्राप्त कराया गया है। तदनुसार ईट भट्टे द्वारा संयुक्त जॉच समिति की निरीक्षण आख्या में अंकित कमियों का निराकरण तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ पाया गया।


3. मै0 शिव ईट भट्टा, ग्राम-घिटोली, तहसील व जनपद-मैनपुरी


ईट भट्टे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.04.2024 इस कार्यालय में दिनांक 15.04.2024 को प्राप्त है। उक्त पत्र के माध्यम से ईट भट्टे द्वारा अवगत कराया गया है कि ईट भट्टे के चारो तरफ सड़क का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है। पूर्व में हरित पट्टिका विकसित की गयी थी। कुछ पौधे खराब हो गये थे। जिनको बदलवा दिया गया है। भट्टे के चारो तरफ कम जगह होने के कारण अलग से भी पूर्व में वृक्षारोपण किया गया है। भट्टे के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल निर्मित है। एयर मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक-15.04.2024 को किया गया। तत्समय ईट भट्टे द्वारा ईट भट्टे की ट्रेंच के चारों तरफ ईट निर्मित रोड (पेप रोड) बना हुआ पाया गया। ईट भट्टे के पास में क्लस्टर में पेड़ तथा ईट भट्टे के चारों तरफ वृक्ष लगा हुआ पाया गया। ईट भट्टे में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले कोयले को ईट निर्मित कमरे में रखा हुआ पाया गया तथा तुरी को तिरपाल से ढका हुआ पाया गया। ईट भट्टे द्वारा चिमनी एवं परिवेशीय वायु गुणता की मॉनीटरिंग करा लिया गया है, के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया। तदोपरान्त ईट भट्टे द्वारा पुनः पत्र दिनांक 28.05.2024 इस कार्यालय में दिनांक 28.05.2024 को प्राप्त कराया गया, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि इंगित सभी कमियों को पूर्ण कर लिया गया है।


ईट भट्टे का निरीक्षण पुनः दिनांक-22.07.2024 को किया गया। तत्समय ईट भट्टे द्वारा ईट भट्टे की ट्रेंच के चारों तरफ ईट निर्मित रोड (पेप रोड) बना हुआ पाया गया। ईट भट्टे के पास में क्लस्टर में पेड़ तथा ईट भट्टे के चारों तरफ वृक्ष लगा हुआ पाया गया। ईट भट्टे में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले कोयले को ईट निर्मित कमरे में रखा हुआ पाया गया तथा तुरी को तिरपाल से ढका हुआ पाया गया। ईट भट्टे द्वारा चिमनी एवं परिवेशीय वायु गुणता की मॉनीटरिंग करा लिया गया है, जिसे कार्यालय में प्राप्त कराया गया है। तदनुसार ईट भट्टे द्वारा संयुक्त जॉच समिति की निरीक्षण आख्या में अंकित कमियों का निराकरण तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ पाया गया।

उपरोक्तानुसार समस्त ईट भट्टों द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(दीपक यादव)
जे0आर0एफ0


22.07.24
(एम0 एम0 गौतम)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय।


22/7/2024